तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **मणी वगैरह बनाम रतु वगैरह, मुकदमा संख्या :– 210/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
13.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा धानता में पुराना खेत खसरा संख्या 578 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा किस्म जमीन बारानी सोयम मनरूपा वल्द अजबा, कौम–भांभी, निवासी–धानता के नाम से थी प्रथम सेटलमेंट के पूर्व जागीरी के समय से उक्त खेत में काश्त कब्जा मनरूपा वल्द अजबा का होने से प्रथम सेटलमेंट के पश्चात खातेदारी मनरूपा के नाम से बनी पट्टा मनरूपा वल्द अजबा के नाम से बना मनरूपा वल्द अजबा कौम–भांबी के एक पुत्र माईंगा एवं दो पुत्रीयां क्रमशः हम वादीगण संख्या 1 मणी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लीला है, जिसमें माईंगा एवं लीला फौत हो गये है। मणी जीवित है तथा लीला का मैं वादी हकमा पुत्र हुं। प्रार्थीगण ने हमारे गांव धानता के मुख्यांन को इकट्ठा किया व रतु को कहलवाया कि वह हमारे नाम बयान कर दें किन्तु रतु प्रभावशाली लोगों के बहकावे में होने से नहीं मानी व उपर से हमे धमकीयां दी कि खेत मेरे नाम है, मैं बेच दूंगी, तुम्हारे को जो करना है सो कर लेना। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है। सुविधा का संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है। भूमि हमारे पिता मनरूपा की है। राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने के कारण अप्रार्थीया रतु ने हम प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकियां दी है कि भूमि मैं बेचान कर दूंगी, अगर ऐसा हुआ तो हम अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकती। वांके सरहद धानता का खेत खसरा संख्या 1092, 1094 रकबा क्रमशः 0.01, 4.90 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.91 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 हमारे कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें, न ही किसी से करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि [illegible] धानता में उक्त वादग्रस्त आराजी में [illegible] मौके [illegible] रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] जाकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रमोद कुमार, आर.ए.एस) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) साचौर, जिला–साचौर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) साचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested